भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2533

उत्तर देने की तारीख : 16.03.2023

सार्वजनिक क्षेत्रों की संस्थाओं में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व

2533. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में कार्यरत अल्पसंख्यक लोगों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-बार कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के संबंध में कोई कदम उठाए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि बेरोजगार आबादी में अल्पसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): सार्वजनिक उद्यम विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए नौकरियों के धर्म-वार वितरण के बारे में डेटा नहीं रखता है।

(ख) से (घ): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित अल्पसंख्यकों (मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, पारसियों और जैनियों) के सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों सहित रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए उनके शैक्षिक सशक्तीकरण, रोजगारोन्मुख कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के समर्थन पर लक्षित योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा बहु-आयामी रणनीति अपनाई है।

इसके अलावा, सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करती है।

******